राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 136 / 2019

बुध सिंह पुत्र महेशदान सिंह नवीरा ओनाड सिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......वादी

**ब–ना–म**

1. अजेश सिंह पुत्र छोग सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. अनीता कंवर पुत्री फूल सिंह पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी महलाना जिला चूरू, राज0
3. ऊमा पत्नी छोग सिंह
4. ओमवीर सिंह पुत्र विजय सिंह
5. कल्याण सिंह पुत्र मालू सिंह
6. नत्थू सिंह पुत्र बने सिंह
7. प्रताप सिंह पुत्र मालू सिंह
8. पुष्पा कंवर पत्नी विजय सिंह
9. बसंत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. भंवर कंवर पुत्री बने सिंह पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं, राज0
11. कुलदीप सिंह पुत्र भादर सिंह
12. संदीप सिंह पुत्र भादर सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
13. मनीषा पुत्री विजय सिंह उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पा देवी पत्नी विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. राजेन्द्र सिंह पुत्र बने सिंह
15. रामवतार सिंह पुत्र बने सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
16. रितु पुत्री विजय सिंह पत्नी तेजवीर सिंह उम्र 23 वष्र निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर, राज0
17. वर्षा पुत्री विजय सिंह पत्नी प्रदीप सिंह उम्र 21 वर्ष जाति राजपूत निवासी बीका की ढाणी, चूरू राज0
18. विक्रम सिंह पुत्र छोग सिंह
19. विजेन्द्र सिंह पुत्र छोग सिंह
20. जगदीश पुत्र प्रभू सिंह
21. सज्जन सिंह पुत्र प्रभू सिंह
22. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रभू सिंह
23. दलीप सिंह पुत्र प्रभू सिंह
24. संजय सिंह पुत्र फूल सिंह
25. सोरण पत्नी बलबीर सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.05 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

## दावा– अधिकार घोषणात्मक

::निर्णय:: दिनांक 22–10–2021

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 21 के ख.नं. 551 रकबा 0.16 है., ख.नं. 554 रकबा 0.06 है., ख.नं. 559 रकबा 0.30 है., ख.नं. 651 रकबा 0.48 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 है. भूमि में वादी के पिता महेशदान पुत्र ओनाड सिंह व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में वादी के पिता महेशदान सिंह पुत्र ओनाड सिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता महेशदान सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादी स्व. महेशदन सिंह का एक मात्र वारिश/उत्तराधिकारी है तथा वादी अपने पिता के स्वर्गवास के बाद अपने पिता के दर्ज 1/5 हिस्से की भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासतन नामांतकरण दर्ज नहीं हुआ है। वादी के पिता का स्वर्गवास हुए काफी समय हो गया है। इसलिए वादी को यह वाद घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम ढाणी बाढां तहसील खेतड़ी स्थित जमाबंदी संवत् 2071 लगायत 2074 के खाता सं. 21 के ख.नं. 551 रकबा 0.16 है., ख.नं. 554 रकबा 0.06 है., ख.नं. 559 रकबा 0.30 है., ख.नं. 651 रकबा 0.48 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 है. में दर्ज महेशदान पुत्र ओनाड सिंह का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी को 1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 25 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने पर सहमति दी है।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 21, फोटो प्रति नामांतकरण सं. 1000 पेश की गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प मानोता जाटान में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 25 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब आपसी सहमति के मुताबिक वाद वादी स्वीकार डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

## आदेश

अतः ग्राम ढाणी बाढां स्थित भूमि खाता सं. 21 खसरा नंबर 551, 554, 559, 651 कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 है. भूमि में दर्ज खातेदार महेशदान पुत्र ओनाड़सिंह हिस्सा 1/5 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प मानोता जाटान में दिनांक 22–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.05 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner